<u>राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर</u>

<u>प्रेस–नोट</u>

क्रमांक : एफ. 7(01) परीक्षा 'क' / प्राध्यापक / (स्कूल शिक्षा) / 2018–2019 / 5546 **दिनांक : 17.03.2021**

प्राध्यापक–(स्कूल शिक्षा) प्रति0 परीक्षा, 2018 हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 13.04.2018 के तहत् प्राध्यापक–कृषि के पदों की भर्ती हेतु परीक्षा आयोजन उपरांत अभ्यर्थियों की पात्रता जांच हेतु आयोजित काउंसलिंग दिनांक 8.9.2020 से 9.9.2020 में पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण परीक्षा में उपस्थित अन्य सभी अभ्यर्थियों से उनकी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता की सूचना प्राप्त करते हुए, प्राप्त सूचना के आधार पर कतिपय स्नातकोत्तर–कृषि व बी0एड0 योग्यताधारक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 15.02.2021 से 16.02.2021 तक आयोजित की गई जिसमें अनुपस्थित अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 02.03.2021 को पुनः काउंसलिंग में उपस्थित होने का अवसर दिया गया। इसके उपरांत भी कतिपय अभ्यर्थी प्राध्यापक–कृषि की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हैं, जिनके रोल नं. आयोग की वेबसाईट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किये जा रहे हैं। काउंसलिंग में अनुपस्थित उक्त अभ्यर्थियों तथा उक्त पदों हेतु आयोजित परीक्षा में उपस्थित ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापनानुसार प्राध्यापक–कृषि हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता–एम0एससी0 कृषि व बी0एड0 उक्त पद की परीक्षा तिथि 10.01.2020 से पूर्व योग्यताधारक हैं, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 22.03.2021 को आयोग कार्यालय में आयोजित काउंसलिंग में विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियों मय स्व–प्रमाणित दस्तावेजों की एक प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिशः काउंसलिंग स्थल–राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर रोड़, अजमेर पर उपस्थित होवें अन्यथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को काउंसलिंग से वंचित कर दिया जावेगा, इस हेतु अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। काउसंलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अन्तिम परिणाम हेतु विचारित योग्य नहीं होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

साथ ही प्राध्यापक–रसायन विज्ञान, इतिहास, हिन्दी व संस्कृत की आरक्षित सूची के अभ्यर्थी रोल नं. 841639, 703989, 318351 व 108456 (सूची आयोग की वेबसाईट पर जारी) द्वारा आज दिनांक तक वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने से पात्रता स्पष्ट नहीं की गई है। उक्त अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देते हुए सूचित किया जाता है कि वे 05 दिवस में वांछित दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें अन्यथा इसके अभाव में आपका आरक्षित सूची में हुआ अस्थाई चयन रद्द कर दिया जावेगा। इस हेतु अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा।

काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को कोविड–19 महामारी के संबंध में राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों (Guideline) की पूर्णतः पालना करना आवश्यक है।

(शुभम् चौधरी)
सचिव